

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
-::आदेश::-

भोपाल, दिनांक 10/08/2022

क्रमांक- एफ 10-06/2022/17/मेडि-02 :- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 14 (a) एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 19 (a) के अंतर्गत जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी द्वारा पारित पंजीयन के आवेदन अमान्य किए जाने, पंजीयन के निलंबन अथवा निरस्तीकरण संबंधी आदेश के विरुद्ध राज्य शासन एतद् द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 के तहत सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. को राज्य अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


8.8.22
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग